

2019/00316

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 338/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)
सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया शाखा एस सी रोड जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

नेहा रमानी पुत्री श्री डालू मल निवासी प्लाट नं. 10/205, मालवीय नगर, जयपुर ।

अप्रार्थीगण

ऋण एवं गारन्टर

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थित:-बैंक प्रतिनिधि प्रार्थी बैंक की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 4.11.2019



संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 04.12.2013 को भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती नेहा रामनानी के स्वामित्व की आवासीय सम्पत्ति फ्लेट संख्या एस-1, दूसरी मंजिल स्थित प्लाट नं. 55 ए, कुशल नगर, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गफिट को बन्धक रख कर कुल 13,00,000/-रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.05.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।


2. प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी ऋणी उपस्थित नहीं हुआ।
3. प्रार्थी वित्तीय बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 31.05.2019 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके अतिरिक्त दो समाचार पत्र क्रमशः इकोनोमिक टाइम्स एवं दैनिक नवज्योति में दिनांक 05.07.2019 को धारा 13(2) का नोटिस प्रकाशित कराया गया है। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। नोटिस प्रकाशित समाचार पत्रों की फोटोप्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी श्रीमती नेहा

रामनानी के स्वामित्व की बन्धक आवासीय सम्पत्ति फ्लेट संख्या एस-1, दूसरी मंजिल स्थित प्लॉट नं. 55 ए, कुशलनगर, सांगानेर जयपुर क्षेत्रफल 800 वर्गफिट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्त कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफतर हो।



आज दिनांक 4-11-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।


(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर